

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: प.2(798)सू.प्रौ./संस्था/10/पार्ट-1/ML-658

जयपुर, दिनांक: 30 जुलाई, 2011

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ कम्प्यूटर सेवा के निम्नलिखित कर्मचारियों का पदस्थापन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. स.	राजसेवक का नाम	पद एवं वर्तमान पदस्थापन	पद एवं नव पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	श्रीमती संध्या शर्मा	सहायक प्रोग्रामर (आदेशों की प्रतीक्षा में)	सहायक प्रोग्रामर, सिंचाई विभाग (जल संसाधन विभाग), जयपुर।	रिक्त पद पर
2.	श्री लक्ष्मीकांत पाराशर	सूचना सहायक, (आदेशों की प्रतीक्षा में)	सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
3.	श्री जोगेन्द्र सिंह	सूचना सहायक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	रिक्त पद पर
4.	श्री दया शंकर गुप्ता	सूचना सहायक, (आदेशों की प्रतीक्षा में)	सूचना सहायक, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
5.	श्री गुगन राम सैनी	सूचना सहायक, पर्यावरण विभाग, जयपुर	सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	रिक्त पद पर
6.	श्री दीपक बंसल	सूचना सहायक, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर	सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	रिक्त पद पर
7.	श्री कपिल महेश्वरी	सूचना सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	रिक्त पद पर
8.	श्री राजेश मीणा	सूचना सहायक, (आदेशों की प्रतीक्षा में)	सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर

27/2/11
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष
- सिस्टम एनालिस्ट एवं कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि तुरन्त प्रभाव से नव पदस्थापन विभाग में कार्यग्रहण कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को (उपस्थिति रिपोर्ट सहित) सूचित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (संस्थापन)